



2026:AHC:39220-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद
आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका सं - 2036/2026

हकाम @ हाकिम अली

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

..... प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : मोहम्मद वदूद, मोहम्मद सामीउज्जमां खान

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय क्रमांक - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता (ए.जी.ए.) को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. सर्वप्रथम, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता (ए.जी.ए.) ने बताया कि तत्काल मामले में, अन्वेषण पूर्ण हो चुकी है तथा याचिकाकर्ता के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल कर दिया गया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके तथा कहते हैं कि वह इस रिट याचिका पर प्रेस नहीं करना चाहता है और उचित अवस्था पर उचित फोरम (न्यायालय) में जाने की स्वतंत्रता लेते हुए इसे वापस लेना चाहता है।
4. दिए गए कथन के परिप्रेक्ष्य में, यह रिट याचिका उपरोक्त स्वतंत्रता के साथ वापस लिए जाने के रूप में खारिज की जाती है।
5. प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति नियमानुसार वापस लौटाई जाए।

20 फरवरी, 2026

(न्यायमूर्ति अचल सचदेव) (न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”